भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3416
05 अगस्त, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना

3416. श्री रामशिरोमणि वर्मा:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु आबंटित धनराशि का उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उपयोग/उपयोग नहीं की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में उक्त योजना के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग)**:** आयुष मंत्रालय आयुर्वेद सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है। उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित/जारी किए गए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सूचित व्यय/उपयोग की गई और अप्रयुक्त धनराशि का उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **संलग्नक-I** पर दिया गया है। हालांकि, एनएएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिलेवार सहायता अनुदान प्रदान नहीं किया जाता है। इसके अलावा, एनएएम के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान समर्थित प्रमुख गतिविधियों को **संलग्नक-II** पर दिया गया है।

*****

संलग्नक-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान, आवंटित/जारी किए गए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सूचित व्यय/उपयोग की गई और अप्रयुक्त धनराशि का उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2019-20			2020-21			2021-22		
		आवंटित/जारी (केंद्रीय हिस्सा)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय	अप्रयुक्त	आवंटित/जारी (केंद्रीय हिस्सा)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय	अप्रयुक्त	आवंटित/जारी (केंद्रीय हिस्सा)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय	अप्रयुक्त
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	365.418	268.396	97.022	251.808	91.521	160.287	296.061	104.780	191.281
2	आंध्र प्रदेश	1900.594	23.517	1877.077	385.402	7.961	377.441	0.000	0.000	0.000
3	अरुणाचल प्रदेश	383.330	368.715	14.615	678.090	419.503	258.587	180.850	0.000	180.850
4	असम	1601.322	710.517	890.805	347.150	167.220	179.930	639.520	0.000	639.520
5	बिहार	2661.298	85.874	2575.424	516.535	32.360	484.175	1686.077	0.000	1686.077
6	चंडीगढ़	0.000	0.000	0.000	195.808	70.390	125.418	94.864	0.000	94.864
7	छत्तीसगढ़	0.000	0.000	0.000	2691.066	692.350	1998.716	841.309	21.050	820.259
8	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	63.854	51.480	12.374	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	दिल्ली	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	गोवा	118.651	110.136	8.515	65.988	38.277	27.711	218.988	0.000	218.988
11	गुजरात	2229.691	1337.070	892.621	244.011	159.515	84.496	466.926	0.000	466.926
12	हरियाणा	2299.475	2133.420	166.055	3034.422	1631.730	1402.692	647.702	116.730	530.972
13	हिमाचल प्रदेश	2045.892	1407.928	637.964	494.940	205.535	289.405	1261.800	492.500	769.300
14	जम्मू और कश्मीर	1848.539	1730.000	118.539	2285.751	2033.250	252.501	1313.105	666.296	646.809
15	झारखंड	1522.312	0.000	1522.312	0.000	0.000	0.000	1309.765	0.000	1309.765
16	कर्नाटक	1791.709	1550.210	241.499	2184.371	1779.840	404.531	1821.460	389.560	1431.900
17	केरल	1540.535	1332.969	207.566	2337.588	2037.075	300.513	1153.388	634.070	519.318
18	लद्दाख	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	187.454	0.000	187.454
19	लक्षद्वीप	426.878	408.194	18.684	19.605	14.495	5.110	64.257	33.251	31.006
20	मध्य प्रदेश	4012.347	3427.944	584.403	5608.63	3143.000	2465.633	3123.198	1230.21	1892.98

					3				6	2
21	महाराष्ट्र	4308.643	2054.630	2254.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	मणिपुर	907.075	600.504	306.571	571.720	170.571	401.149	170.040	0.000	170.040
23	मिजोरम	199.510	177.360	22.150	657.730	296.497	361.233	259.080	6.932	252.148
24	मेघालय	348.210	297.942	50.268	247.970	78.750	169.220	609.780	313.598	296.182
25	नागालैंड	950.580	950.580	0.000	1254.890	628.671	626.219	232.270	132.337	99.933
26	ओडिशा	726.096	208.360	517.736	716.640	46.320	670.320	1075.380	0.000	1075.380
27	पुदुचेरी	238.416	206.182	32.234	47.667	44.597	3.070	200.273	157.910	42.363
28	पंजाब	1155.493	14.100	1141.393	89.770	0.000	89.770	527.280	0.000	527.280
29	राजस्थान	1987.595	1042.834	944.761	2276.400	1036.225	1240.175	3189.000	0.000	3189.000
30	सिक्किम	330.593	235.405	95.188	350.440	306.670	43.770	99.300	69.790	29.510
31	तमिलनाडु	1993.913	1993.913	0.000	616.580	148.972	467.608	2348.268	1491.688	856.580
32	तेलंगाना	934.178	474.600	459.578	0.000	0.000	0.000	3132.252	2135.000	997.252
33	त्रिपुरा	0.000	0.000	0.000	270.080	0.000	270.080	138.710	47.100	91.610
34	**उत्तर प्रदेश**	**7923.690**	**7526.178**	**397.512**	**10373.858**	**7758.503**	**2615.355**	**13809.724**	**11797.723**	**2012.001**
35	उत्तराखंड	825.340	567.831	257.509	656.458	361.320	295.138	2622.504	0.000	2622.504
36	पश्चिम बंगाल	1849.740	1034.059	815.681	247.346	6.363	240.983	2118.045	397.916	1720.129
	कुल	**49490.917**	**32330.848**	**17160.069**	**39718.716**	**23407.481**	**16311.235**	**45838.630**	**20238.447**	**25600.183**

संलग्नक-II

एनएएम के तहत, पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में समर्थित प्रमुख गतिविधियों की स्थिति

(i) 50 तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए 18 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई।

(ii) 10 आयुष अस्पतालों और 177 आयुष औषधालयों की अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान की गई है।

(iii) प्रत्येक वर्ष औसतन 115 आयुष अस्पतालों और 3323 आयुष औषधालयों को आवश्यक आयुष दवाओं की आपूर्ति के लिए सहायता प्रदान की गई है।

(iv) 3 स्नातकपूर्व आयुष शैक्षणिक संस्थानों की अवसंरचना, पुस्तकालय और अन्य चीजों के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान की गई है।

(v) 471 योग स्वास्थ्य केन्द्रों को सहायता प्रदान की गई है।

(vi) 871 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को सहायता प्रदान की गई है।

(vii) 25 आयुष ग्राम इकाइयों को सहायता दी गई है।